


फर्द अहकाम
पिकी कंवर बनाम भंजू कंवर

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या 217/2015 दावा

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
17-11-25		<p>पत्नावली पेश हुई। वकील वादी अनुपास्त्रिक वकील वादी को आवाज दिलाई गई। कोई उपास्थित नहीं हुए। बार-बार आवाज दिलाई गई फिर भी कोई उपास्थित नहीं हुए। कोर्ट का समय पूर्ण हो चुका है। इसलिए वादी का वाद अदम टाजरी व अदम पैखी में जारी किया जाता है। पत्नावली फैसल शुमार किया होकर दर्ज नं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>